मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 1990 (अग्रहायण 30, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, दिनांक 26 जून, 1990 को सदन में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 440 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में डाफिन हेलीकाप्टर से संबंधित जांच प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1990 (क्रमांक 13 सन् 1990) की धारा 93 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2482-1116-बाईस-पं-2/90, दिनांक 28 सितम्बर, 1990 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, प्रदेश के अनेक स्थानों में आरक्षण विरोधी छात्र-छात्राओं द्वारा आत्मदाह की घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, मुरैना एवं भिण्ड जिले के कृषकों को चम्बल नहर से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री उमाशंकर मुंजारे/जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, बालाघाट जिले के लामटा थानान्तर्गत एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रामानन्द सिंह/विश्वम्भरनाथ पाण्डेय/कुन्दन सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के अनूपपुर में पुलिस द्वारा शांति समिति के जुलूस पर गोली चालन से एक व्यक्ति की मौत होने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री गोपाल भार्गव/कांतिलाल भूरिया, सदस्य, प्रदेश में डीजल, खाना पकाने की गैस एवं घासलेट की कमी से आम जनता एवं कृषकों को हो रही परेशानी की ओर राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) ठा. दरबार सिंह, सदस्य, सतना जिले के कोठी नगर में जनता दल की आमसभा में गड़बड़ी पैदा किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, इन्दौर के निकट पिड़वाय ग्राम की बस्ती की हरिजन महिलाओं को परेशान किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री मोतीलाल वोरा/जगदम्बा प्रसाद निगम/रामप्रताप सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम धरसोला में हुई हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री प्रेम शंकर वर्मा, सदस्य, सिवनी मालवा तहसील के ग्राम सालई के वन कर्मियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय/दाऊराम रत्नाकर, सदस्य, भोपाल स्थित सिकन्दरिया हाकी मैदान की भूमि पर पुलिस कन्ट्रोल रूम का निर्माण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अनूप सिंह मरावी, सभापति, आश्वासन समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामराव महाले, सदस्य—

(क) जिला छिंदवाड़ा के अनुदान अप्राप्त शालाओं को नियमित अनुदान दिये जाने के संबंध में 169 व्यक्तियों की, तथा

(ख) जिला छिंदवाड़ा के भंसारी इंजीनियरिंग पालीमर्स लिमिटेड कम्पनी, सातनूर द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के संबंध में 50 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री बलरामसिंह तिलगाम, सदस्य, जिला मण्डला, तहसील नैनपुर के ग्राम सालीवाड़ा (डिठोरी) में संचालित हाईस्कूल को 10+2 के विद्यालय में उन्नयन कराये जाने के संबंध में 57 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री श्रीराम जाटव, सदस्य, जिला भिण्ड, विधान सभा क्षेत्र गोहद के ग्राम सुहास के तालाब को पक्का बनाये जाने के संबंध में 83 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, सदस्य, सब्जी मण्डी, रीवा को अन्यत्र स्थापित कराये जाने के संबंध में 8 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

6. संविहित संकल्प

निर्धारित समय 30 मिनट

श्री जयंत मलैया, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"यतः मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (क्रमांक–3 सन् 1973) की धारा 4–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा दिनांक 1 मई, 1982 से मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास मंडल की स्थापना की गई है;

और यतः राज्य शासन की राय है कि उक्त मंडल को जनहित में कार्यरत रखना आवश्यक नहीं है;

अतएव मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (क्रमांक–3 सन् 1973) की धारा 101 की उपधारा (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार यह विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास मंडल को तत्काल प्रभाव से विघटित किया जाय तथा इसके कार्य-कलापों का निर्वहन मध्यप्रदेश शासन तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा किया जाय."